

संलग्नक: दिनांक 16-9-2020

[illegible]

“निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कार्यक्रम संचालित करने वाली डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाएँ जो प्राथमिक शिक्षा परिषद ज०१० जखनख से पूर्व से सम्बद्ध हैं, ने ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा सन २०२०-२१ हेतु स्थापित अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके काम के सम्मुख अधिकार प्राप्तकर/प्रवेश समया के साथ सन २०२०-२१ हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा सन २०२०-२१ हेतु प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में परिषद से सन २०२०-२१ हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।”

| क्र.सं. | राज्य/क्षेत्र | वर्ष/वर्ग | वर्ष/वर्ग | वर्ष/वर्ग | वर्ष/वर्ग |
|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1       | राज्य/क्षेत्र | वर्ष/वर्ग | वर्ष/वर्ग | वर्ष/वर्ग | वर्ष/वर्ग |

✓ मल्ला ए०आईसीटीआई०/बीसीआई० द्वारा निर्धारित की सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेंगी।  
✓ मल्ला जलपर अर्थिक अधिकारिका विकास अधिकार १९९२ तथा अधिकारिका विकास अधिकार धारित प्रमाणपत्रों १९९२ समस्त विनियमनवली-२०१० तथा अन्य निर्मित नियमों एवं कानूनों का अनुपालन करेगी। सभी शुल्क निर्धारित करिने द्वारा निर्धारित शुल्क तीन करोड़ इन्डियन रुपयककम से १० ३०,१००,००/- प्रतिवर्ष दो करोड़ कानूनन से अधिकतम से ३०,००,०००/- प्रतिवर्ष एवं एक लाख दो करोड़ रुपयककम से शरीर कानूनन से अधिकतम से प्रतिवर्षों से १० ३०- ३२,५००,०० रुपयों शुल्क की दरोंक प्रभाव/आवृत्ति के प्रसार किया जाएगा। उपरोक्त के अधिकतम अत्र/उपरोक्तों के शुल्क की दरोंक से समय-समय पर कानूनन द्वारा निर्धारित किए जाने वाले कानूननक प्रमाणों द्वारा और तदनुसार कानूननक विकास आभा आवश्यक होता। योक्त निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र २०२०-२१ से शुल्क का पुनर्विचार किया जाता है तो योक्त की नीतिगत दो तरह होगी।